प्र.सं. 11/2023 जीसीएमएस आईडी : 2023/133

प्रार्थना पत्र गुरसीत सिंह आदि अन्तर्गत आ0 9 नि0 9 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

नायब सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
10.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 09.02.2021 को वादीगण का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, लेकिन वाद में प्रतिवादी सं. 1–2 की तामील विधिवत रूप से हो चुकी थी। माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश प्रदान किये थे। प्रार्थी गुरसीत सिंह अपना ईलाज करवाने हेतु विदेश केलीफोर्निया चला गया प्रार्थी गुरविन्द्र पाल सिंह को भी हार्ट अटैक की बीमारी हो जाने के कारण सर्जरी करवानी पडी। सन् 2020–2021 में कोविड–19 प्रोटोकॉल लागू होने के कारण प्रार्थीगण पुनः न्यायालय आकर वाद की जानकारी हासिल नहीं कर सके तथा ना ही अपना वकील नियुक्त पैरवी की हिदायत दे सके।	

यदि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 अपास्त नहीं किया जाता है, तब इससे प्रार्थीगण अपने बहुमूल्य अधिकार से वंचित हो जावेंगे। इसलिए न्याय के अंतिम छोर तक पंहुचने के लिए वाद पत्र पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर वाद पत्र निरतारण किया जाना उचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में अज्ञानता वश हुई देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए निवेदन किया हैं।

रिमाण्ड प्रकरण सं. 1/2007(14/1979) में पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 को न्यायहित में अपास्त फरमाया जाकर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद में आगे कार्यवाही/सुनवाई करने के लिए तारीख पेशी निश्चित करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां पेश की –

1. Kerala High Court : W.P.(C) No. 27246 of 2010 D/10-01-2012
   Sudha Chandrasekharan Vs Sasikala
2. Bombay High Court : Writ Petition No. 896 of 2007 with Writ Petition No. 7552 of 2009 with Civil Application Stamp No. 901 of 2019 D/16-10-2019
   Hariba Tatyaba More & Ors. Vs Dada Ekhatnath More & Ors.
3. Madras High Court(Madurai Bench):C.R.P.(PD)(MD)No.332 of 2012 Decided on 23-11-2012 Paulraj Vs The Branch Manager Muthoot Fincorp Ltd.

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। मूल वाद प्र.सं. 01/2007(रिमाण्ड) का अवलोकन किया। मूल वाद दिनांक 09.02.2021 को आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2021 को पारित आदेश को निरस्त कर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर निर्णित करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा चिकित्सा जांच संबंधित दस्तावेज भी पेश किये गये हैं। प्रकरण वर्ष 1979 से विचाराधीन हैं, जो कि वर्ष 2007 से रिमाण्ड प्रकरण विचाराधीन हैं। अतः उपरोक्त के मध्यनजर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वी[illegible] मूल वाद रिमाण्ड प्रकरण सं. 1/2007(14/1979) में पारित आदेश दिनांक [illegible].2021 को अपास्त कर प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज किये जा[illegible] प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता हैं कि वे दिनांक 02.08.2023 को प्रकरण[illegible] न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शु[illegible]होकर मूल वाद संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2023.07.28 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner